



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पोखरी



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, Const.DIV. POKHARI

Ph. No/Fax No :- 01372-222156

E Mail :- eepwdpokhari@rediffmail.com

पत्रांक 626 / 11सी0

दिनांक 06 / 05 / 2019

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर (चमोली)।

विषय:- जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में राजकीय इण्टर कॉलेज चौण्डी से विरसण-सेरा मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.75 है0 सिविल/आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देराहदून का पत्र सं0 FP/UK/ROAD/38635/2019 दिनांक 03.04.2019।

महादेय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में राजकीय इण्टर कॉलेज चौण्डी से विरसण-सेरा मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.75 है0 सिविल/आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	इंगित आपत्ति	निराकरण
01	Please provide village level committee (VLC) proceeding for each village separate with seprate attendance sheet according to filled details B-2.3 village wise breakup along with FRA may also be provide and upload in para K part I.	The proceedings of separate village level committee with attendance sheet attached for necessary action and upload in para K part I.

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


प्रभारी अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
पोखरी (चमोली)।

FORM-I
(For linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No.....

Dated 17.01-2019

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

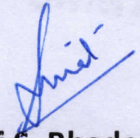
In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.89 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D. Pokhari for Construction of Chondi to Birsan Sera Motor Road (5.00 Km) in Chamoli district falls within jurisdiction of Gram Sabha Majyadi, Birsan Sera village in Pokhari tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.75 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to Vth annexure 23.2, 23, 23.1
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha's have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली


Mrs. Swati S. Bhadoriya (I.A.S.)
(Official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
चमोली


Divisional Forest Officer
Kedamath Wildlife Division
Gopeshwar

FORM-II

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)**

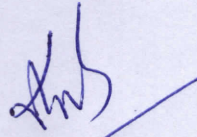
Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other traditional forest dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

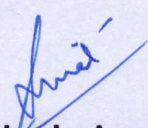
A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mrs. Swati S. Bhadoriya (I.A.S.) District Magistrate Chamoli on date 17-01-2019 at time 17:00 PM at in which application claiming rights in total area measuring **1.75 hect.** for the construction of **Chondi to Birsan Sera Motor Road (5.00 Km.)** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Pokhari sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated: 17.01-2019




**Mrs. Swati S. Bhadoriya (I.A.S.)
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee**

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

जिला अधिकारी
चमोली


Divisional Forest Officer
Kedarnath Wildlife Division
Gopeshwar

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में पोखरी रा0इ0का0 चौड़ी - विरसण सेरा मोटर
मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.75 हे0 सिविल/आरक्षित वन भूमि, एवं मक डिस्पोजल हेतु
0.27 हे0 कुल भूमि 1.75 हे0 सिविल
वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पोखरी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पोखरी

उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत रा0इ0का0 चौड़ी से विरसण सेरा तक मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 हे0
सिविल वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.27 हे0 सिविल भूमि, अर्थात् कुल 1.75 हे0 सिविल वन भूमि का
लोक निर्माण विभाग, पोखरी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पोखरी) की दिनांक
06/10/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008
के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री गोपाल राय विनयान उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार
है।

1-	श्री <u>G. L. Khimal</u>	उपजिलाधिकारी	<u>SPM CP/</u>	अध्यक्ष
2-	श्री <u>विजयलक्ष्मी</u>	उप प्रभागीय वनाधिकारी	<u>कोषागार 9.4.2.40 को</u>	सदस्य
3-	श्री <u>कुं पिंकी मंगलवान</u>	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	<u>पोखरी</u>	सदस्य/सचिव
4-	श्री <u>प्रभा देवी</u>	बी0डी0सी0 क्षेत्र	<u>प्रभा देवी</u>	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की
कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि रा0इ0का0 चौड़ी से विरसण सेरा तक मोटर मार्ग के
निर्माण हेतु 1.75 हे0 सिविल वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.27 हे0 सिविल भूमि, अर्थात् कुल 1.75 हे0
हे0 सिविल वन भूमि का, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा
गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से
पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोपेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन
अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय
सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया
गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार
समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत रा0इ0का0 चौड़ी से विरसण सेरा तक मोटर मार्ग के
निर्माण हेतु 1.75 हे0 सिविल वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.27 हे0 सिविल भूमि, अर्थात् कुल 1.75 हे0
सिविल वन भूमि लो0नि0वि0 पोखरी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति
व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील पोखरी
जनपद चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील पोखरी
जनपद चमोली

कार्य का नाम:- जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में राजकीय इण्टर कॉलेज चौण्डी से विरसण-सेरा मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.75 है० सिविल/आरक्षित वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव:-

वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:-मज्याड़ी-बिरसण सेरा।

तहसील-पोखरी जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

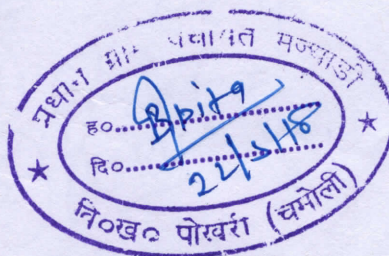
जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में राजकीय इण्टर कॉलेज चौण्डी से विरसण-सेरा मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु (1.75 है० सिविल/आरक्षित वनभूमि / वन पंचायत, नाप भूमि 1.75 है०) अर्थात् कुल 3.5 है० भूमि का लो०नि०वि०/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनभूमि मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मज्याड़ी, बिरसण सेरा द्वारा दिनांक 22/5/18 को सम्पन्न ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम-मज्याड़ी, बिरसण सेरा के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पोखरी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

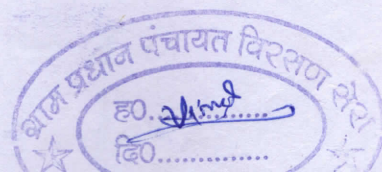
ह०/- *Rawat*
ग्राम (सचिव/सचिव)
ग्राम पंचायत अधिकारी
मुहर सहित
दि० 20-5-18



ह०/-

ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित
उत्तरपंच वन पंचायत
मौजा मज्याड़ी
जनपद-चमोली
22/05/18

श्रीमती सुनीता बुटोला
सदस्य
ग्राम पंचायत



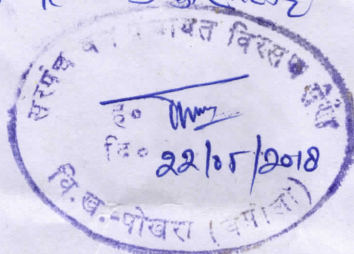
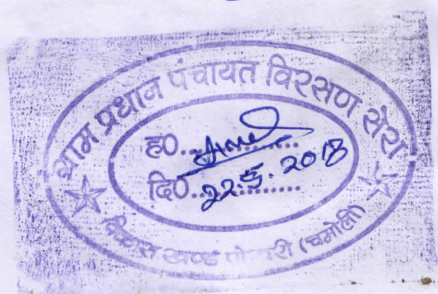
दिनांक 22/05/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत विरसण सेरा

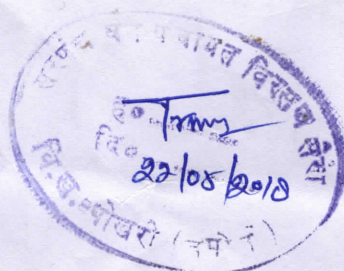
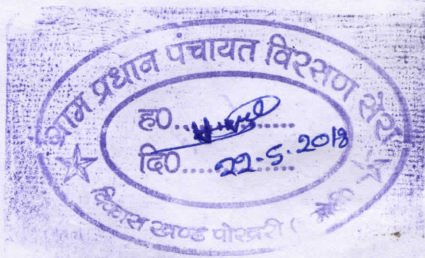
रा०इ०का० चौड़ी से विरसण सेरा तक निर्माण किये जाने वाले मोटर मार्ग हेतु ग्रामसभा की बैठक हुई, मोटर मार्ग निर्माण में ग्रामवासियों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

क्र०सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सत्येन्द्र सिंह नेमी १० युक्तादल सिंह	
2	कुंवर सिंह १० विष्णुपाल सिंह नेमी	Kumar Singh
3	रमेश सिंह १० अंगल सिंह नेमी	Ramesh
4	राजेंद्र सिंह १० विमपाल सिंह	Rajendra
5	युक्तादल सिंह १० विष्णुपाल सिंह	
6	लक्ष्मी देवी १० दिलवर सिंह नेमी	
7	सोमेश्वरी देवी १० जसवन्त सिंह	
8	दिलवर सिंह १० आन सिंह	Dilvar Singh
9	सुखदेव सिंह १० त्रिलोक सिंह	Sukhdev Singh
10	शिवधर्मा नरसिंह १० बलवीर सिंह	
11	जसवन्त सिंह १० अचल सिंह	
12	राजपाल सिंह १० अमर सिंह	Rajpal Singh
13	राजपाल सिंह १० अमर सिंह	Rajpal Singh
14	अशुवीर सिंह १० शीतल सिंह	Ashuvir Singh
15	शारदा देवी १० राजेंद्र सिंह	
16	त्रिलोक सिंह १० दरमान सिंह	
17	नरेंद्र सिंह १० नंगा सिंह	Narendra Singh
17	आनन्द सिंह १० शिवराज सिंह	Anand Singh

20 सुशीला देवी पानी पच्छरा सिंह



(2)	जमोजी देवी पत्नी वीरेन्द्रासिंह	जमोजी देवी
21)	जसदेई देवी का राजेन्द्रासिंह	
(27)	लजपत सिंह पुत्र गनपाल सिंह	लजपत सिंह
28)	जयवीर सिंह पुत्र धूरण सिंह	जयवीर
29)	जसपाल सिंह पुत्र नारायण सिंह	जसपाल सिंह
(30)	रघुवीर सिंह डा. इयांगरि	रघुवीर सिंह
31)	बलभरत सिंह नम डा. इयांगरि	बल
32)	देवेन्द्र सिंह डा. जयानंद	देवेन्द्र सिंह
33)	सुरेन्द्र नाथ पुत्र कुशीलाल	सुरेन्द्र
34)	हेतवारी देवी का गुमानलाल	
(35)	दीपालाल डा. धूमनाथ	दीपालाल
36)	धनश्याम डा. गुमानलाल	धनश्याम
(37)	सुरेश देवी का दयालु नाथ	सुरेश देवी
(38)	प्रेमनाथ डा. कुशीलाल	प्रेमनाथ
39)	बलवन्त सिंह डा. कलम सिंह	बलवन्त सिंह
40)	मानदर सिंह डा.	मानदर सिंह
41)	कुंवर सिंह डा.	कुंवर सिंह
42)	मोहम्मद सिंह पंजाब पुरु दलीप सिंह	मोहम्मद
43)	कृष्ण देवी का परमेश्वर सिंह	

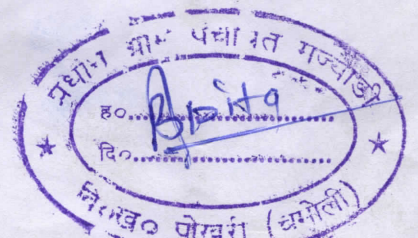


दिनांक 22/5/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मज्झाड़ी

रा०इ०का० चौड़ी से विरसण सेरा तक निर्माण किये जाने वाले मोटर मार्ग हेतु ग्रामसभा की बैठक हुई, मोटर मार्ग निर्माण में ग्रामवासियों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

क्र०सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री सत्यपाल सिंह रावत	सत्यपाल सिंह
2.	सुरेन्द्र सिंह रावत	सुरेन्द्र सिंह
3.	अंजना देवी रावत	Anjana Devi Raawat
4.	सुरेन्द्र सिंह रावत	सुरेन्द्र सिंह
5.	मोहन सिंह रावत	मोहन सिंह
6.	बापू देव सिंह रावत	बापू देव सिंह
7.	गोविन्द सिंह रावत	गोविन्द सिंह
8.	दिनेश्वरी देवी रावत	दिनेश्वरी देवी
9.	दिनेश सिंह रावत	दिनेश सिंह
10.	रेखा देवी रावत	रेखा देवी
11.	श्री हरेश्वर सिंह रावत	हरेश्वर सिंह
12.	बीर सिंह रावत	बीर सिंह
13.	ऊषा देवी रावत	ऊषा देवी
14.	विनीता देवी रावत	विनीता देवी
15.	दीपा देवी रावत	दीपा देवी रावत
16.	ज्योत्सना देवी रावत	ज्योत्सना देवी
17.	पुष्पा देवी रावत	पुष्पा देवी
18.	संगीता देवी रावत	संगीता देवी



19.	राजेश्वर सिंह रावत	<u>राजेश</u>
20.	श्री अजीत सिंह रावत	<u>अजित</u>
21.	" जगदीश सिंह रावत	जगदीश सिंह रावत
22.	" प्रकाश सिंह रावत	प्रकाश रावत
23.	" सुरवीर सिंह रावत	सुरवीर सिंह रावत
24.	" दर्शन सिंह रावत	<u>दर्शन</u>
25.	" रमेश सिंह रावत	रमेश सिंह
26.	" रघुवीर सिंह रावत	रघुवीर सिंह रावत
27.	" सूर्यपाल सिंह रावत	<u>Sunil</u>
28.	" उदय सिंह रावत	उदय सिंह
29.	" दीपक सिंह रावत	दीपक रावत
30.	" मोहन सिंह रावत	मोहन सिंह
31.	" कलवीर सिंह रावत	कलवीर सिंह
32.	" अरुण सिंह रावत	<u>अरुण</u>
33.	" किशोर सिंह रावत	<u>किशोर</u>
34.	" माधव सिंह रावत	<u>माधव</u>
35.	" प्रदीप सिंह रावत	<u>Pradi</u>
36.	" मनोज सिंह रावत	<u>Manoj</u>
37.	" उमेश सिंह रावत	उमेश सिंह
38.	" मोहन सिंह रावत	मोहन सिंह
39.	" लाल सिंह रावत	लाल सिंह रावत
40.	" राजेश सिंह पंवार	<u>Rajesh</u>
41.	" लक्ष्मण सिंह पंवार	<u>Laxman</u>
42.	" बलदेव सिंह रावत	<u>Baldev</u>

